प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 जुलाई, 2024

विषय:- जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ शिवजी पुत्र श्री रामकेवल यादव, निवासी जनपद-अयोध्या की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ शिवजी पुत्र श्री रामकेवल यादव, ग्राम-फत्तेपुर सरैया, थाना-कैण्ट, जनपद-अयोध्या का निवासी है। पूर्व में हुए मनमुटाव व मारपीट के विवाद के कारण दिनांक 05.11.1995 को बंदी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, बम, लाठी तथा कट्टे से वारकर राजितराम व भैरवनाथ नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-77/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 325/149, 323/149, 147, 148 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, फैजाबाद के आदेश दिनांक 31-10-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 03-09-2022 तक 15 वर्ष, 02 माह, 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुए मनमुटाव व मारपीट के विवाद के कारण दिनांक 05.11.1995 को बंदी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, बम, लाठी तथा कट्टे से वारकर राजितराम व भैरवनाथ नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पू उर्फ शिवजी पुत्र रामकेवल यादव को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ शिवजी (बन्दी संख्या-418/2008) पुत्र श्री रामकेवल यादव, निवासी जनपद-अयोध्या के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-67/2024/3611(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर ।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ में योजित क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन सं0-9519/2023 पप्पू उर्फ शिवजी व अन्य बनाम उ0प्र0 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-67/2024/3611/22-2-2022-17(1499)/2022
दिनांक 25 जुलाई, 2024 का संलग्नक
सरकार के आदेश

जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू उर्फ शिवजी पुत्र श्री रामकेवल यादव, ग्राम-फत्तेपुर सरैया, थाना-कैण्ट, जनपद-अयोध्या का निवासी है। पूर्व में हुए मनमुटाव व मारपीट के विवाद के कारण दिनांक 05.11.1995 को बंदी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, बम, लाठी तथा कट्टे से वारकर राजितराम व भैरवनाथ नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-77/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 325/149, 323/149, 147, 148 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम, फैजाबाद के आदेश दिनांक 31-10-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 03-09-2022 तक 15 वर्ष, 02 माह, 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में हुए मनमुटाव व मारपीट के विवाद के कारण दिनांक 05.11.1995 को बंदी ने अपने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा, बम, लाठी तथा कट्टे से वारकर राजितराम व भैरवनाथ नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पू उर्फ शिवजी पुत्र रामकेवल यादव को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।